State Environment Impact Assessment Authority, M.P.
(Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India)

सत्यमेव जयते

Environmental Planning & Coordination Organization
Paryavaran Parisar, E-5, Arera Colony
Bhopal - 462016
visit us http://www.mpseiaa.nic.in
Email : mpseiaa@gmail.com
Tel.: 0755 - 2466970, 2466859
Fax : 0755 - 2462136

No.: 2803 /SEIAA/23
Date : 8/2/23

प्रति,

मेसर्स एस.एन.एस. मिनरल्स प्रा.लि.,
निदेशक, श्री एस.पी. तिवारी,
निवासी 5–सी, अलीपुर पार्क रोड़, कोलकाला (वेस्ट बंगाल)

विषयः– **प्रकरण क्र. 9526/2022** परियोजना प्रस्तावक मेसर्स एस.एन.एस. मिनरल्स प्रा.लि., निदेशक, श्री एस. पी. तिवारी, निवासी 5–सी, अलीपुर पार्क रोड़, कोलकाला (वेस्ट बंगाल), द्वारा लाईमस्टोन खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता लाईमस्टोन 106449, ओवर बर्डन/मिट्‌टी 42193 व वेस्ट 21290 टन प्रतिवर्ष, रकबा 5.122 हेक्टेयर, खसरा 922, 1082, 1083, 1084, 1086, 1087 व 1088, ग्राम भठिया, तहसील मैहर, जिला सतना (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन। **Prescribing of TOR**

संदर्भः–768वी SEIAA बैठक दिनांक 31.01.2023 एवं 617वी SEAC समिति बैठक दिनांक 03.01.2023

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 617वी बैठक दिनांक 03.01.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है। राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा SEAC की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के साथ अतिरिक्त ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गयाः–

(i) परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करें कि भू–जल का प्रतिछेदन न हो एवं इस हेतु प्रस्तावित क्षेत्र का विस्तृत Geo hydrological अध्ययन का समावेश ईआईए प्रतिवेदन में किया जाये।

(ii) परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु ग्राम क्षेत्र के बाहर से वैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार कर उसका अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा पहुंच मार्ग के साथ–साथ लीज क्षेत्र की परिधि में वन विभाग के परामर्श से वृक्षारोपण की योजना तैयार की जाएगी और सभी विवरणों के साथ वास्तविक स्थल की तस्वीरों को ई.आई.ए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये ।

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जीरो साइज गिट्टी/धूल जो लीज क्षेत्र में भारी मात्रा में जमा हो जाती है, के पुर्नउपयोग की योजना बनाई जाये एवं उसका व्यवहारिक अनुपालन कैसे किया जायेगा उसे ईआईए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये।

(v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा पहाड़ियों के खनन के कारण पारिस्थितिकी तंत्र को पहुंचने वाली क्षति को कम करने एवं आसपास के क्षेत्र (यदि कोई हो) पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव के उचित

शमन उपायों के लिए योजना का स्वरूप तथा उसका अनुपालन कैसे किया जायेगा उसे ईआईए में सम्मिलित किया जाये।

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं माननीय एनजीटी (प्रिंसिपल बेंच) के ओए नंबर 304/2019 में जारी निर्देशानुसार पत्थर खदान की अनुमति में न्यूनतम दूरी के मानदंड के दृष्टिगत नॉन ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी तय है का पालन करते हुए खनन योजना तैयार की जाये।

(vii) मैन्युअल खनन से संबंधित पाउडर/डस्ट फैक्टर के मूल्यांकन कर ईआईए दस्तावेजों में सम्मिलित किया जाना चाहिए। यह सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर (एसपीएम) के अनुमान को सुनिश्चित करेगा एवं खदान श्रमिकों पर पड़ने वाले हानिकारक प्रभाव को समझने के साथ ही कार्यस्थल जनित रोगों की संभावना का मूल्यांकन करने में सहायक होगा।

(viii) खनन गतिविधियों से ग्लोबल वार्मिंग पोटेंसिएल और कार्बन फुट प्रिंट और इसे कम करने के उपायों का अध्ययन किया जाना चाहिए और प्रस्तावित ऊर्जा दक्षता उपायों के साथ ईआईए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये ।

(ix) विस्तृत मॉनिटरिंग प्रोग्राम के साथ क्लस्टर पर्यावरण प्रबंधन योजना की कार्यप्रणाली तैयार की जानी चाहिए और इसकी कार्यान्वियन योजना के साथ रिपोर्ट में सम्मलित की जाये ।

(x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जहां तक संभव हो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के उपयोग हेतु योजना तैयार कर इसे रिपोर्ट में सम्मलित की जाये ।

(xi) एमओईएफसीसी की प्रारूप अधिसूचना दिनांक 18.02.2022 अनुसार जनरेटर सेटों के उत्सर्जन मानकों के अनुरूप तौर–तरीकों पर विचार करना चाहिए।

(xii) पर्यावरण, वन एव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 18–02–2022 के प्रारूप अधिसूचना अनुसार ई.आई.ए. में जनरेटर सेटों के उत्सर्जन मानकों के अनुरूप तौर–तरीकों पर विचार किया जाना चाहिए।

(xiii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए अध्ययन में वायु गुणवत्ता मॉडलिंग को शामिल करना सुनिश्चित करेगा

(xiv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर के सभी खदान संचालकों के सहयोग से क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदानों के पर्यावरणीय प्रबंधन हेतु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के माध्यम से एवं उनके द्वारा सुझाये गये स्थान पर खदानों से होने वाले प्रदूषण हेतु निरंतर मॉनिटरिंग इक्यूपमेन्ट लगाकर उसका डिस्प्ले किया जायें एवं अन्य ऐसे पर्यावरणीय बिन्दुओं जो कि समान रूप से सभी पर लागू है की सामूहिक रूप से कार्यवाही सुनिश्चित की जाये तथा ईआईए में इसका विस्तृत रूप से विवरण दिया जाये।

(xv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर के सभी खदान संचालकों के सहयोग से क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदानों के स्थल अनुरूप (Site Specific) कलस्टर के समुचित पर्यावरणीय प्रबंधन हेतु जिला प्रशासन एवं स्थानीय निकाय से समन्वय कर कार्ययोजना तैयार की जाये एवं इस कार्ययोजना का ईआईए प्रतिवेदन में समावेश किया जाये।

(xvi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश–देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान के उत्तर पूर्वी दिशा में 240 मी. पर एक नहर निकल रही है। अतः इसकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. में प्रस्तुत की जाये ।

(xvii) ई.आई.ए. अध्ययन के दौरान क्षेत्र में 04 से 05 स्थानों (जिसमें से एक स्थान आवंटित खनन् क्षेत्र के बैरियर जोन में हो) पर 01 मीटर X 01 मीटर X 01 मीटर का ट्राईल पिट खोद कर उसके स्वाईल प्रोफाइल का अध्ययन कर वृक्षारोपण का स्थान निर्धारित किया जाये तथा उसका विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।